

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2016 तथा महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन ।

सूचना/विज्ञप्ति

संख्या:पीआरपीबी-अनु-6-प-03/2017

दिनांक:सितम्बर 01, 2017

- 1- पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के 136, पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) के 303 एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के 170 रिक्त पदों को भरने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।
- 2- इसी प्रकार महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के 34, पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) के 75 एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के 42 रिक्त पदों को भरने के लिए महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।
- 3- इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा और चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची के चरण निर्धारित हैं।
- 4- लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का चार अलग-अलग विषयों का एक प्रश्नपत्र होगा। लिखित परीक्षा के इस प्रश्नपत्र की संरचना निम्नवत होगी:-

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
विषय-1	क-सामान्य हिन्दी	50	100	2.30 घण्टा Composite Time
	ख-कम्प्यूटर ज्ञान			
विषय-2	क- सामान्य जागरूकता	50	100	
	ख- सामयिक विषय			
विषय-3	क-संख्यात्मक योग्यता परीक्षा	50	100	
	ख-मानसिक योग्यता परीक्षा			
विषय-4	क-मानसिक अभिरूचि परीक्षा	50	100	
	ख-बुद्धिलब्धि परीक्षा			
	ग-तार्किक परीक्षा			
प्रत्येक प्रश्न 2.00 अंक		कुल प्रश्न 200	कुल अंक 400	2.30 घण्टा

- 5- प्रश्नपत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये जायेंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ऑनलाइन उत्तर भरें।

- 6- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.00 अंक निर्धारित है। किसी गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जायेगी।
- 7- सिविल अपील संख्या-6547/2014 अनिल कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 18-07-2014 के अनुसार किसी विषय में निरस्त किये गये गलत प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को उसके पूरे अंक दिये जायेंगे।
- 8- प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 9- प्रश्नपत्र में सामान्य हिन्दी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी प्रश्न को दूसरी इच्छित भाषा में लागिन स्क्रीन पर सेलेक्ट कर देखा जा सकेगा। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।
- 10- परीक्षा कक्ष में ज्यामिति बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, पेंसिल, स्केल, लेखन पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलक्यूलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ियां, स्मार्ट घड़ियां, ब्लूटूथ डिवाइस, इयर फोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि आदि ले जाना एवं प्रयोग पूर्णता वर्जित है।
- 11- ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 13-09-2017 को आयोजित होगी।
- 12- ऑनलाइन लिखित परीक्षा के अभ्यास हेतु बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर Mock Test की व्यवस्था दिनांक 05-09-2017 से उपलब्ध रहेगी।
- 13- प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 02-09-2017 से 13-09-2017 तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का सन्देश SMS के माध्यम से भी उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर भेजा जायेगा। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in/> पर अपने आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा Mock Test का अभ्यास भी कर सकते हैं।
- 14- ऑनलाइन लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दाखिल किये जाने हेतु Candidate Interface उपलब्ध होगा, जिस पर आपत्तियां दर्ज करायी जा सकेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर Log in करना होगा।
- 15- यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

11/9/17

अपर सचिव (भर्ती)

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।